वेबसाईट हेतु

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
तृतीय (मानसून) सत्र
वर्ग-2

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक- 04भाद्रपद, 1937(श0) 26 अगस्त, 2015(ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0सं0	विभाग को भेजी गई सं0स0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभाग को भेजी गई तिथि
"क"29	अ0सू0-27	श्री अनन्त कुमार ओझा	पठन-पाठन कार्य प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।	20.08.2015

नोट"क"29, दिनांक- 25.08.2015 को सदन द्वारा दिनांक- 26.08.2015 के लिए स्थगित

रॉची,
दिनांक- 26 अगस्त,2015 (ई0)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/2015 2488 /वि0स0, रॉची, दिनांक- 25/8/15

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रीगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

(संजय कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/2015 2488 /वि0स0, रॉची, दिनांक- 25/8/15

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय अपर सचिव (प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

कृ० पृ० 30-

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/2015.....2488...../वि0स0, राँची, दिनांक- 25/8/15

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं वेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

25/08/15

पठन-पाठन कार्य प्रारंभ करना।

*29. श्री अनन्त कुमार ओझा :- क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1- क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय साहेबगंज में महिला महाविद्यालय वर्षों से स्थापित है ;

2- क्या यह बात सही है कि आज तक उक्त महाविद्यालय में पठन-पाठन कार्य प्रारंभ नहीं हो पायी है, जिससे छात्राओं को कठिनाईयाँ हो रही है ;

3- यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त महिला महाविद्यालय में पठन-पाठन कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हों, तो कब तक नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री :-

1. उत्तर अस्वीकारात्मक है।
   वस्तुस्थिति यह है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई महिला महाविद्यालय स्थापित नहीं है।
2. उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3. शैक्षणिक सत्र- 2015-16 से साहेबगंज कॉलेज, साहेबगंज में छात्राओं के लिए स्नातक स्तर की पढ़ाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दिया गया है।

नोट :-"क"29 दिनांक-25.08.2015 को सदन द्वारा दिनांक- 26.08.2015 के लिए स्थगित।

रॉंची।
दिनांक- 26 अगस्त,2015(ई०)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
तृतीय -सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक- 04 भाद्र, 1937 (श0) को 26 अगस्त, 2015 (ई0)
झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सं0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(85)-	अ0सू0-3 (उत्तर मुद्रित)	श्री आलमगीर आलम	अभियंताओं का रिक्त पद पर समायोजन।	ग्रामीण विकास	13.08.15
(86)-	"क" अ0सू0-8	श्री अलोक कु0 चौरसिया	सड़कों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	13.08.15
(87)-	अ0सू0-16	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	राशि की वसूली।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.08.15
(88)-	अ0सू0-13	श्री राधाकृष्ण किशोर	राशि उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.08.15
(89)-	अ0सू0-14	श्री बादल	इन्दिरा आवास का निर्माण।	ग्रामीण विकास	17.08.15
(90)-	अ0सू0-19	श्री चम्पाई सोरेन	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	17.08.15
(91)-	अ0सू0-07	श्री योगेश्वर महतो	पेयजलापूर्ति बहाल कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	13.08.15
(92)-	अ0सू0-17	श्री बिरंची नारायण	दोषियों पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	17.08.15
(93)-	"क" अ0सू0-10	श्री राम कुमार पाहन	सड़क का कालीकरण	ग्रामीण विकास	13.08.15
(94)-	अ0सू0-12	श्री दशरथ गागराई	अभियंता पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	17.08.15
(95)-	अ0सू0-23	श्री रघुनन्दन मण्डल	पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई।	पथ निर्माण	19.08.15
(96)-	अ0सू0-28	श्रीमती निर्मला प्रधान	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	20.08.15

कृ0पृ030...../-

01	02	03	04	05	06
(97)-	"क"अ0सू0-9	श्री राम कुमार पाहन	सड़क का कालीकरण।	ग्रामीण विकास	13.08.15
(98)-	अ0सू0-26	श्री नारायण दास	सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम को दुरूस्त कराना।	नगर विकास एवं आवास	20.08.15
(99)-	अ0सू0-22	श्री प्रदीप यादव	वित्तीय अव्यवस्था पर नियंत्रण।	पथ निर्माण	19.08.15
(100)-	अ0सू0-25	श्री दुलू महतो	नियुक्तियों में प्राथमिकता देना।	ग्रामीण विकास	20.08.15
(101)-	अ0सू0-27	श्री दीपक बिरूवा	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	20.08.15
(102)-	अ0सू0-05	श्री अशोक कुमार	दोषियो पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	13.08.15
(103)-	अ0सू0-11	श्री राधाकृष्ण किशोर	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	13.08.15
(104)-	अ0सू0-30	श्री इरफान अंसारी	दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	21.08.15
(105)-	अ0सू0-20	श्री चम्पाई सोरेन	अधिकारियों पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	17.08.15
(106)-	अ0सू0-06	श्री योगेश्वर महतो	गाँव को नगरपरिषद के अधीन रखना।	ग्रामीण विकास	13.08.15
(107)-	अ0सू0-21	श्री अरूप चटर्जी	वेतन तथा उपादान का भुगतान।	नगर विकास एवं आवास	17.08.15
(108)-	अ0सू0-04	श्री अशोक कुमार	घोटालों की जाँच एवं कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	13.08.15
(109)-	अ0सू0-29	श्री इरफान अंसारी	कोटा घटाने का कारण बताना।	ग्रामीण विकास	21.08.15
(110)-	अ0सू0-15	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	दोषि पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	नगर विकास	17.08.15
(111)-	अ0सू0-01	श्री प्रदीप यादव	अधूरी योजनाओं को पूरी कराना।	ग्रामीण विकास	13.08.15
(112)-	अ0सू0-24	श्री प्रकाश राम	बकाया राशि का भुगतान।	ग्रामीण विकास	20.08.15

नोट :- "क"= पथ निर्माण विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में हस्तांतरित।

राँची
दिनांकः-26 अगस्त,2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/15.......2461......./वि0स0,राँची,दिनांकः- 24 अगस्त,2015 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 [signature] 24/8/15
(एस0 शिराज मजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/15.......2461......./वि0स0,राँची,दिनांकः- 24 अगस्त,2015 ई0।

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 [signature] 24/8/15
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

(86)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.15 को सदन में पूछे जाने वाले अ0सू0 प्रश्न सं0–08 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड के ग्राम–चटीपार से कुण्डपानी होते हुए चोरहट भाया रामगढ़ जो घनी आबादी क्षेत्र है कि दूरी–20 कि0मी0 है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त गाँव से गुजरने वाले सड़क जनहित में उपयोगी है एवं उक्त सड़क के निर्माण होने से एक गाँव से दूसरे गाँव होते हुए प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़ती है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस जनउपयोगी सड़कों के निर्माण कराने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों,	3. चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित विभागीय नीति एवं सीमित बजटीय उपबंध के आलोक में मा0 सदस्य द्वारा अनुशंसित पथ प्रक्रियाधीन है। प्रश्नाधीन पथ अनुशंसा सूची में शामिल नहीं है। सीमित बजटीय उपबंध व विभागीय नीति के आलोक में पथ निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1046 / 15 ग्रा0का0वि0 2853 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2056, दिनांक–13.08.15 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1046 / 15 ग्रा0का0वि0 2853 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1046 / 15 ग्रा0का0वि0 2853 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

(87)

नः

माननीय विधायक श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं. अ. सू. – 16 का उत्तर

क्र. सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि –	श्री चंद प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (PMU) में स्टेट कॉर्डिनेटर का अनुबंधित पद का ग्रेड पे–6,800/– रूपये है;	स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) एक केन्द्र सम्पोषित कार्यक्रम है, जिसका कार्यान्वयन प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के द्वारा किया जाता है। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट एक रजिस्टर्ड सोसाईटी है, जिसका रजिस्ट्रेशन निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 359 दिनांक 20.07.2004 से निबंधित है, जिसका निबंधन सं. 158 वर्ष 2004–05 है। अनुबंध आधारित सभी स्टेट कॉर्डिनेटर (राज्य समन्वयक) पद के लिए ग्रेड पे 6600/– रूपये PMU के कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) से स्वीकृत है।
2	क्या यह बात सही है कि श्री मनोज कुमार सिंह, निम्न वर्गीय लिपिक, ग्रेड पे–2,400/– रूपये के कर्मी को सरकार विगत 05 वर्षों से खंड–01 में वर्णित पद पर पदस्थापित कर उक्त ग्रेड–पे के वेतनमान का लाभ दे रही है, जो घोर वित्तीय अनियमितता है;	NRDWP के मागदर्शिका एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार PMU में अनुबंध आधारित राज्य समन्वयकों की नियुक्ति हेतु राष्ट्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन यूनिसेफ झारखण्ड के नियुक्ति एजेंसी 'माफोई' द्वारा निकाला गया था। प्राप्त आवेदनों के आधार पर यूनिसेफ के सहयोग से विभाग द्वारा साक्षात्कार के उपरांत राज्य समन्वयकों का चयन किया गया। राज्य समन्वयकों में चयनित उम्मीदवारों में श्री मनोज कुमार का नाम भी सम्मिलित था। श्री मनोज कुमार को झारखंड सेवा संहिता के नियम 67 से 72 गहनाधिकार (Lien) एवं 267 'ब' बाह्य सेवा (Foreign Service) में निहित प्रावधानों के अनुसार सरकार के आदेश सं. – 2/स्था.–103/12–104 दिनांक 22.05.2012 के तहत PMU में अनुबंध पर नियुक्ति की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि खंड–02 में वर्णित कर्मी खंड–01 में वर्णित पद की अर्हता को पूरा नहीं करते हुए भी विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत में उक्त पद का लाभ ले रहे हैं;	अस्वीकारात्मक है। श्री मनोज कुमार की शैक्षणिक योग्यता असैनिक अभियंत्रण में स्नातक (B.E. Civil), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ग्रामीण विकास (PG Diploma in RD) एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा (Diploma in Computer Application) है।
4	यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले की जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उक्त कर्मी को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए अब तक की गयी वेतन भुगतान राशि की वसूली करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/अल्प सूचित 07/2015– 3766 दिनांक 24/8/11

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 2128 दिनांक 17.08.2015 के क्रम में 25 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

(88)

माननीय विधायक श्री राधा कृष्ण किशोर, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–13 का उत्तर।

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		श्री बद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में राईजर पाईप के सड़ जाने के कारण तथा वृहत मरम्मति के आभाव में 31 जुलाई, 2015 तक कुल 60,000 नलकूपों के बंद होने के कारण पेयजल की घोर समस्या उत्पन्न हो गयी है?	वस्तु स्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य में कुल 4,04,703 चापाकल है। सड़े हुए पाईप के कारण दिनांक–01.04.2015 तक कुल 40,323 चापाकल बंद है एवं विशेष मरम्मति के कारण 28,174 बंद है अर्थात 68,497 अदद बंद है। कार्यरत चापाकल 3,36,206 अदद है। झारखण्ड राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की अद्यतन आबादी 2.66 करोड है। कुल मिलाकर 79 व्यक्ति पर 1 अदद चापाकल कार्यरत है जो कि भारतीय मानक 150 व्यक्ति पर 1 अदद से अधिक है। ऐसे में सामान्यतः नये चापाकल तथा SIR करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न किस्म की मरम्मति का कार्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में के द्वारा, राइजर पाईप बदलकर 12557 अदद् तथा SIR के द्वारा 809 अदद् चापाकल की मरम्मति आवश्यकता आधारित की गई है। यह कार्य वित्तीय वर्ष में चालू रहेगा।
2	क्या यह बात सही है कि राषि आवंटन के अभाव में खण्ड–1 में वर्णित बंद पड़े नलकूपों की वृहद मरम्मति कार्य बंद है?	अस्वीकरात्मक, वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2015–16 हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 75.2933 करोड की राषि स्वीकृति दी गई एवं पत्रांक–585 दिनांक–14.05.2015 के द्वारा 20 करोड़ की राशि उपायुक्तों को उपलब्ध कराई गई है। यह कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकार के अधीन किया जाना है। आवंटित राशि व्यय कर, उपयोगिता प्रमाण पत्र गृह आपदा प्रबन्धक को भेजकर अतिरिक्त राशि की जा सकती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने हेतु राशि उपलबध कराना चाहती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–08/अल्प–सूचित–06/2015 3758 दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक–2129, दिनांक–17.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,

24/08/15

NRDWP, Mukesh

(89)

श्री बादल, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू–14 का उत्तर प्रतिवेदन

क0स0	प्रश्नकर्त्ता–श्री बादल, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में इंदिरा आवास का लक्ष्य घटाकर 49701 कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध मात्र 30681 इंदिरा आवास का ही निर्माण कार्य हो सका है।	आंशिक स्वीकारात्मक वित्तीय वर्ष 2014–15 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए कुल 49701 इकाई इंदिरा आवास का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014–15 में 46254 इकाई आवास स्वीकृत किया गया था।
2.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गरीबों को आवास देने हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?	ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण समानुपातिक राज्यांश की राशि सभी जिलों को विमुक्त नहीं किया गया है। फलस्वरूप कुल स्वीकृत इंदिरा आवास का निर्माण नहीं हो सका है। सभी जिलों को इंदिरा आवास योजना अंतर्गत Unspent Balance से पुराने लंबित इंदिरा आवास को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष प्राप्त प्रथम किस्त से इंदिरा आवास की लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक– 4455 /ग्रा0वि0 रॉंची/ दिनांक–25·8·15
ग्रा0वि0–08–वि0स0– 62/2015

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– सं0 –2130 दिनांक–17.8.2015 के आलोक में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2015

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4455 /ग्रा0वि0 रॉंची/ दिनांक–25·8·15

प्रतिलिपि:– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/श्री बादल, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एंव निगरानी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2015

सरकार के अवर सचिव।

(90)

श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–19

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसांवा जिलान्तर्गत गम्हरिया प्रखण्ड के खरकई नदी पर गंजिया में पुल निर्माण को पुनः स्वीकृति वर्ष 2010–11 में विभाग द्वारा की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है उक्त कार्य का एकरारनामा वर्ष 28.12.2010 में मेसर्स खोखर इन्टरप्राईजेज के साथ विभाग द्वारा की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पायी है ;	स्वीकारात्मक।
4. क्या यह बात सही है कि मेसर्स खोखर इन्टरप्राईजेज द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के चलते विभाग द्वारा कार्यादेश रद्द करते हुए कार्य को बन्द कर दी गई है ;	स्वीकारात्मक है। एकरारनामा को विखण्डित करते हुए जमा अग्रधन की राशि रू0 पन्द्रानबे लाख इकतालीस हजार नौ सौ सत्तर जब्त कर ली गई है।
5. यदि वर्णित खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गंजिया पुल का निर्माण जनहित में अविलम्ब करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	डी0पी0आर0 तैयार किये जाने के समय परामर्शी तथा तत्कालीन जिम्मेवार अभियंताओं द्वारा बराज का Bed level बिना ध्यान में रखे प्रस्ताव समर्पित करने में लापरवाही एवं सरकारी राशि का अपव्यय/दुरूपयोग करने के लिए संबंधित अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा गया है। निर्माणाधीन पुल बराज के नीचे पड़ता है अतः सक्षम संस्थान से पुल के स्थायीत्व एवं सुरक्षा संबंधी जाँच करायी जा रही है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पुल के निर्माण पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–265/2015/ग्रा0का0 2851 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2162 वि0स0 दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

(योगेश चन्द्र सिंहल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–265/2015/ग्रा0का0 2851 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

सरकार के उप सचिव

श्री योगेश्वर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 26.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0– 07 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
क्या यह बात सही है कि करोड़ो रूपये की लागत से बोकारो जिला के बेरमो विधान सभा के जैनामोड़ पेयजलापूर्ति योजना का लाभ, पाईप लाईन विस्तार के अभाव में 8 पंचायत कांकरी उत्तरी, कांकरी दक्षिणी, खुटरी, जैनामोड़ मोहनपुर, कांड़बालीडीह, बांधडीह उत्तरी एवं बांधडीह दक्षिणी के छुट गये टोला–मुहल्लों को नहीं मिल पर रहा है।	वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित क्षेत्र प्रस्तावित जैना नगर परिषद का भाग है जो संख्या– 463 रॉची, बुधवार 1 जूलाई 2015 (ई0) द्वारा अधिसूचित है। पूर्व से जैनामोड़ ग्रामीण जलापूर्ति योजना आगामी 30 वर्षो के लिए 83945 आबादी के आधार पर निर्मित तथा बहु पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संचालित है, से आठ पंचायतों में जलापूर्त्ति किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत WTP की क्षमता 8 MLD है जो 61 LPCD के आधार पर बनायी गई है, जिसके वितरण प्रणाली से 90% आबादी आच्छादित है जिसमें 5918 गृह जल संयोजन की क्षमता के विरूद्ध मात्र 2651 जल संयोजन ही लिया गया है। अतः योजना Under Utilized है। योजना की क्षमता के अनुरूप पंचायतों द्वारा अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। पूर्ण गृह संयोजन के बाद ही विस्तार पर विचार सम्भव है। शेष 10% आबादी जो पाईप जलापूर्त्ति योजना से आच्छादित नहीं है, वहाँ 97 नलकूपों से जलापूर्त्ति की जा रही है जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र0	पंचायत	वंचित टोला/गली	आबादी	नलकूप की संख्या
1	तांतरी उ0	मुस्लिम मोहल्ला	650	12
2	तांतरी उ0	मिश्रा टोला	710	15
3	तांतरी उ0	रविदास टोला	500	8
4	जैना	सिंह टोला	600	10
5	टांडमोहनपुर	1 से 9 गली	800	15
6	खुटरी	मंडलडीह	600	13
7	टांडबालीडीह	मुस्लिम टोला	900	16
8	बांधडीह द0	मांझी टोला	525	8

इस प्रकार वर्त्तमान में क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं है।

क्या यह बात सही है कि जैनामोड़ सहित अन्य लाभुक परिक्षेत्र का जलस्तर काफी नीचे जाने के कारण पेयजलापूर्ति के अन्य वैकल्पिक संसाधन बेकार हो गये है, जिससे पेयजलापूर्ति की गंभीर समस्या व्याप्त हो गई है।	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जनपयोगी योजना का विस्तार वंचित गाँव टोलों में कराकर घर–घर तक शुद्ध पेयजलापूर्ति व्यवस्था बहाल कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ?	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

24/8/15

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/अ0सू0– 01–03/2015– 3760 /राँची, दिनांक :– 24/8/15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय के ज्ञापांक– 2057 दिनांक– 13.08.2015 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

(92)

मा0, स0वि0स0, श्री बिरंची नारायण द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता मा0, स0वि0स0, श्री बिरंची नारायण		उत्तरदाता मा0 मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
	क्या मंत्री, प0नि0वि0,यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–	
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के चास स्थित गरगा नदी पर वर्ष 2010–2011 से बनाये जा रहे पुल निर्माण में विलंब किये जाने के कारण फरवरी, 2013 में संवेदक के साथ संपन्न हुए एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया था ;	स्वीकारात्मक है ।
2.	क्या यह बात सही है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में पूर्व के ही संवेदक के एकरारनाम को पुनर्जीवित करते हुए एक वर्ष का अवधि विस्तार प्रदान किया गया था ;	स्वीकारात्मक है ।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि विस्तार दिए जाने के बावजूद अब तक भी उक्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है ;	स्वीकारात्मक है ।
4.	क्या यह बात सही है कि गुणवत्ता के अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण तथा समय सीमा बढ़ने से निर्माण खर्च में बढ़ोतरी की गयी है ;	संवेदक के साथ सम्पन्न हुए एकरारनामा में अवधि विस्तार के आलोक में किसी भी प्रकार का Price Adjustment संबंधी प्रावधान वर्णित नहीं है । फलस्वरूप, समय सीमा वृद्धि के कारण निर्माण खर्च में बढ़ोतरी नहीं की गयी है। साथ ही, गुणवत्ता के अनुरूप कार्य नहीं होने पर भुगतान का प्रावधान नहीं है ।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस लापरवाही के लिए संवेदक की निविदा रद्द कर इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी संवेदक एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा पुल का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.06.2015 को संवेदक/पथ निर्माण विभाग के साथ आयोजित बैठक में गरगा पुल को पूर्ण करने हेतु दिसम्बर, 2015 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अल्प सूचित–13/2015 6071/(प0) राँची/दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2164 दिनांक 17.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

24/8/15

सरकार के अवर सचिव,

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

6071(1)

ज्ञापांक : पo निoवि०–11–अल्प सूचित–13/2015 राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.8.15

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

24.8.15

93

श्री राम कुमार पाहन, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.15 को सदन में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0–10 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत औरमांझी प्रखण्ड के हजारीबाग रोड जिदु से बिजांग कुकुई मंदरों तक सड़क कच्ची है, जिससे बरसात के दिनों में आवागमन में काफी परेशानी होती है,	1. आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन पथ का निर्माण 9 वर्ष पूर्व कराया गया था।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क की शीघ्र कालीकरण कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2. विभागीय निर्धारित नीति के आलोक में माननीय सदस्य द्वारा अनुशंसित औसतन 10 कि0मी पथ स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त अनुशंसा सूची में प्रश्नाधीन पथ शामिल नहीं है। सीमित बजटीय उपबंध व विभागीय नीति के आलोक में पथ निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1045/15 ग्रा0का0वि0 2837 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2054, दिनांक–13.08.15 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1045/15 ग्रा0का0वि0 2837 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1045/15 ग्रा0का0वि0 2837 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

94

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–12

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसाँवा जिलान्तर्गत कान्द्रा–चाण्डिल पथ पर मानीकुई पूल का निर्माण वर्ष 2003–04 में लगभग 5 करोड़ रूपये से कराया गया था ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नांकित पुल की तकनीकी स्वीकृति की राशि रू0 286.00 लाख (दो करोड़ छियासी लाख) थी।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल का एक पीलर टूट गया है, जिसके कारण आवागमन पूर्णतः बाधित है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में पूल का निर्माण कराते हुए संबंधित अभियंता एवं संवेदक पर कार्रवाई कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पुल की तकनीकी जाँच करायी जा रही है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पदाधिकारियों एवं संवेदक के विरूद्ध कारवाई की जायेगी तथा क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्निर्माण कराने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–285 / 2015 / ग्रा0का0 2860 राँची, दिनांक– 25.8.15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2126 वि0स0 दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

(योगेश चन्द्र सिंहकू)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–285 / 2015 / ग्रा0का0 2860 राँची, दिनांक– 25.8.15

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

सरकार के उप सचिव

95

मा0, स0वि0स0, श्री रघुनन्दन मण्डल द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

	प्रश्नकर्त्ता मा0, स0वि0स0, श्री रघुनन्दन मण्डल	उत्तरदाता मा0 मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
1.	क्या मंत्री, प0नि0वि0 यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला मुख्यालय के समीप कडिया नदी पर वित्तीय वर्ष 2011–12 में 8 करोड़ 38 लाख की लागत से उच्चस्तरीय पुल का निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी ;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि कडिया नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य महज एक वर्ष पूर्व पूर्ण हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
3.	क्या यह बात सही है कि करोड़ो की लागत से बना पुल में 8 जगहों पर पुल का छत, ढलाई बड़े–बड़े आकार में टूट का चूर हो गया है एवं कई जगह छत पर दरार आ गई है जिसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
4.	यदि वर्णित खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे अनियमितितापूर्ण पुल का निर्माण करने वाले संवेदक तथा तत्कालीन विभागीय पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यो ?	पुल निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है । इस पुल में Wearing Coat (उपरी सतह) एक दो जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए थे जिसे सुधार दिया गया है । वर्तमान में इस पुल से आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है ।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अल्प सूचित–16/2015 6112(5) राँची/दिनांक : 25/8/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2262 दिनांक 19.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अल्प सूचित–16/2015 6112(5) राँची/दिनांक : 25/8/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

96

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला
अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–28

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के सोगडा एवं कोचेडेगा के बीच शंख नदी में बन रहा पुल 2010 में ध्वस्त हो गया जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नांकित पुल वर्ष 2011 में क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे संवेदक द्वारा एकरारनामा में वर्णित शर्तों के आधार पर पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। संवेदक से प्राप्त वर्क प्रोग्राम के अनुसार दिनांक–15.03.16 तक योजना पूर्ण करा दिया जायेगा।
2. क्या यह बात सही है कि शंख नदी पर ही रेंगाटी के पास गोमियाघाट और सुंगाडोगा घाट (बोलवा) के बीच करोड़ो की लागत से निर्मित पुल दुबारा ध्वस्त हो गया है जब कि इस पुल को बने अभी कुछ ही महीने हुए है ;	स्वीकारात्मक।
5. यदि उपरोक्त खण्डो स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त दोनो पुलो का पुनः निर्माण करवाते हुए पुलों के लिए जिम्मेवार दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न की कंडिका–1 में वर्णित पुल का निर्माण संवेदक द्वारा कराया जा रहा है तथा कंडिका–2 में वर्णित पुल के पुनर्निर्माण कराने हेतु संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिमडेगा को लिखित दिया गया है। विभाग द्वारा ध्वस्त पुल की तकनीकी जाँच करायी जा रही है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पदाधिकारियों एवं संवेदक के विरूद्ध कारवाई की जायेगी। प्रश्न की कण्डिका 1 एवं 2 से सम्बधित संवेदक क्रमशः श्री राजेन्द्र प्रसाद, लातेहार एवं मे0 एक्का कन्सट्रक्शन, ठाकुर टोली, सिमडेगा को debar List में डाल दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–280 / 2015 / ग्रा0का0 2844 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2321 वि0स0 दिनांक 20.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

(योगेश चन्द्र सिंहकू)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–280 / 2015 / ग्रा0का0 2844 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ससदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

सरकार के उप सचिव

97

श्री राम कुमार पाहन, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.15 को सदन में पूछे जाने वाले अ0सू0 प्रश्न सं0–09 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत टाटा रोड राईसा मोड़ से खूँटी रोड को जोड़ने वाली हुआंग हातु, बंधुवा, नचलदाग तक सड़क कच्ची होने के कारण अत्यंत जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण पैदल यात्रियों एवं वाहनों के आवागमन में असुविधा हो रही है;	1. आंशिक स्वीकारात्मक। पथ का निर्माण 8 वर्ष पूर्व कराया गया था।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क की शीघ्र कालीकरण कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2. विभागीय निर्धारित नीति के आलोक में माननीय सदस्य द्वारा अनुशंसित औसतन 10 कि0मी पथ स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त अनुशंसा सूची में प्रश्नाधीन पथ शामिल नहीं है। सीमित बजटीय उपबंध एवं निर्धारित नीति के आलोक में वर्णित पथ के निर्माण का निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1047 / 15 ग्रा0का0वि0 2840 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2055, दिनांक–13.08.15 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1047 / 15 ग्रा0का0वि0 2840 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1047 / 15 ग्रा0का0वि0 2840 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

(98)

श्री नारायण दास, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–26.08.2015 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–26 का उत्तरः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत स्थित द्वादश ज्योर्तिलिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर के चारों ओर घनी आबादी निवास करती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत "सिवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम" की हलात जर्जर अवस्था में हो गयी है, जिससे शहर की जल निकासी में कठिनाईयाँ हो रही है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवघर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत जल निकासी के बेहतरी हेतु "सिवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम" को दुरूस्त करने का कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सिवरेज एवं ड्रेनेज की व्यवस्था हेतु Tata Consultancy Pvt. LTD. के द्वारा DPR बनाया जा रहा है। DPR की स्वीकृति के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–5 / न0वि0 / अल्पसूचित–43 / 2015-3096 राँची, दिनांक– 25-08-15.

प्रतिलिपि–: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के पत्रांक–2310 दिनांक–20.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/2015
सरकार के उप सचिव

U.s. Hall/e/Bidhan sabha- 5

(99)

मा0, स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता मा0, स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव		उत्तरदाता मा0 मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
1.	क्या मंत्री, प0नि0वि0,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– क्या यह बात सही है कि इस वर्ष पथ निर्माण विभाग के योजना बजट का आकार 3000 करोड़ का है जो राज्य के अन्य सभी विभागों से अत्यंत ही अधिक है ;	वर्ष 2015–16 में विभाग का बजटीय उपबंध रू0 3000 करोड़ है यह राज्य के इस वित्तीय वर्ष के कुल बजट का 9.33% है ।
2.	क्या यह बात सही है कि इस विभाग में विगत तीन वित्तीय वर्षों में योजना मद की राशि से व्यय हुए राशि में 80 प्रतिशत राशि की निकासी मार्च माह में की गयी है जिस कारण पैसे का दुरूपयोग होता है ;	विगत तीन वित्तीय वर्षों में माह मार्च में व्यय निम्न प्रकार है : वर्ष 12–13 – 28.9% 13–14 – 29.7% 14–15 – 16.7%
3.	यदि उपरोक्त खंड़ों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस वित्तीय अव्यवस्था पर नियंत्रण करना चाहती है ? नही तो क्यों ?;	अस्वीकारात्मक । अतः वित्तीय व्यवस्था पूर्णतः नियंत्रण में है ।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अल्प सूचित–15/2015 6072(5) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2161 दिनांक 17.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

24.8.15

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।
24.8.15

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अल्प सूचित–15/2015 6072(5) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.8.15

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।
24.8.15

(100)

पत्रांक–सू0प्रौ0/विधानसभा प्रश्न–110/2015–1899/

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

प्रेषक,

उमेश प्रसाद साह,
निदेशक,

सेवा में,

श्री मनोहर लकड़ा,
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,
झारखण्ड, राँची

राँची/दिनांक–24/08/15

विषय:– श्री दुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25/08/2015 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0–25 का उत्तर समाग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका ज्ञाप संख्या–प्र0 2323/वि0स0 दिनांक 20.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में उत्तर समाग्री निम्न प्रकार से है–

क्र.सं.	प्रश्न समाग्री	उत्तर समाग्री
1.	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक पंचायत प्रज्ञा केन्द्रों का निर्माण क्षेत्र की जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रज्ञा केन्द्रों में संचालकों की नियुक्ति की गई थी जिन्हें 1000/– रू0 प्रतिमाह देने का प्रस्ताव था साथ ही अन्य तकनीकी नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का भी प्रस्ताव था?	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि इन संचालकों को न तो आज तक मानदेय ही भुगतान किया गया और न ही इन्हें किसी भी तकनीकी स्तर की नियुक्ति में प्राथमिकता दी गई?	कंडिका 2 के आलोक में नहीं।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रज्ञा केन्द्र के संचालकों को मानदेय भुगतान करने एवं तकनीकी नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। इस संबंध में सरकार ऐसा कोई विचार नहीं रखती है। क्योंकि प्रज्ञा केन्द्र संचालक, पंचायत स्तरीय उद्यमी है न की सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी।

विश्वासभाजन

Umesh
(उमेश प्रसाद साह)
निदेशक

कंडिका 02 के संबंध में पूरक उत्तर सम्रागी :–

उत्तर समाग्री

1. कॉमन सर्विस सेन्टर (प्रज्ञा केन्द्र) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मिशन मोड परियोजना है।
2. इसका कार्यान्वयन पी०पी०पी० (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर किया जा रहा है।
3. इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जैप–आई० टी० को राज्य नोडल एजेंसी (SDA)घोषित किया गया है।
4. सी०एस०सी० योजना के क्रियान्वयन हेतु खुली निविदा के माध्यम से एस०सी०एस० (सर्विस सेन्टर एजेंसी) का चयन किया गया है।
5. जैप–आई० टी० द्वारा इस संबंध में खुली निविदा जारी कर सभी पाँच प्रमंडलों के लिए सर्विस सेन्टर एजेंसियों का चयन किया गया जो इस प्रकार से है :–
   (क) यूनाइटेड टेलीकॉम्स लिमिटेड – राँची, हजारीबाग, कोल्हान
   (ख) बेसिक्स लिमिटेड – दुमका
   (ग) ऑल्टरनेटीव फॉर इंडिया डेवेलपमेंट (AID)- पलामू
6. प्रज्ञा केन्द्र खोलने का प्रावधान सर्विस सेंटर एजेंसी के माध्यम से है। उपर्युक्त एजेंसी के द्वारा प्रज्ञा केन्द्रों का चयन कर परियोजना संचालन एवं सेवा निष्पादित करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क लेने का अधिकार दिया जाता है। जो पूर्णतः सर्विस सेंटर एजेंसी के आंतरिक बिजिनेस मॉडल पर निर्भर है।
7. भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार प्रमंडलवार निविदा द्वारा प्राप्त राशि संबंधित एस०सी०ए० को 48 माह तक दिये जाने का प्रावधान है जो निम्नलिखित है :

क्र० सं०	सर्विस सेन्टर एजेंसी	प्रमंडल	सी.एस.सी. की संख्या	निविदित राजस्व राशि प्रति सी०एस०सी० प्रति माह (48 माह के लिये)
1	यूनाइटेड टेलीकॉम्स लिमिटेड	राँची	703	700.00
2		हजारीबाग	1657	3000.00
3		कोल्हान	583	3000.00
4	बेसिक्स लिमिटेड	दुमका	1019	1860.00
5	ऑल्टरनेटीव फॉर इंडिया डेवेलपमेंट	पलामू	600	3284.00
		कुल	4562	59,71,60,032.96

Umesh

श्री दीपक बिरूवा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा आगामी दिनांक 26.8.2015 को सदन में पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 27 पर उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न–कर्ता – श्री दीपक बिरूवा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	उत्तर–दाता – श्री नीलकंठ मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा दिनांक 29.7.2015 को आयोजित मनरेगा की समीक्षा बैठक में यह प्रकाश में आया है कि जिले में विगत पाँच वर्षो से मनरेगा की 11869 योजनाएँ अधूरी पड़ी हुई है जिसमें से कई योजनाएँ शुरू भी नहीं हो पाई और योजना हेतु स्वीकृत राशि की निकासी कर ली गयी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। उपायुक्त द्वारा सूचित किया गया है कि सम्प्रति 9908 योजनाएँ MIS Entry के अनुसार लम्बित है। इस निमित्त सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाकर, मापी कराकर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है। विगत माह तक 2345 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है। जहाँ तक बिना कार्य प्रारम्भ किये योजनाओं की स्वीकृत राशि की निकासी का प्रश्न है, एतद् संबंधी कोई भी मामला सम्प्रति जिला द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधूरी पड़ी योजनाओं को पूर्ण करते हुए बेवजह कार्य को लम्बित रखने वाले / बिना कार्य के राशि की निकासी करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त द्वारा अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया जा चुका है तथा एतद् संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी है। यदि अनियमितता का कोई मामला प्रकाश में आता है, तो तत्क्षण उनके विरूद्ध नियमानुकूल कानूनी एवं अन्य कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 11–325/वि०स०/2015/ग्रा०वि० – (N) 1954 राँची, दिनांक 25-8-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2324 दिनांक 20.8.2015 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(परितोष उपाध्याय) 25/08/15
विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– 11–325/वि०स०/2015/ग्रा०वि० – (N) 1954 राँची, दिनांक 25-8-15

प्रतिलिपि :– श्री दीपक बिरूवा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव। 25/08/15

(102)

मा0 स0वि0स0 श्री अशोक कुमार द्वारा दिनांक–26.08.15 को सदन में पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं0–05 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा प्रखण्ड में राज्य सम्पोषित योजना से स्वीकृत खुटहरी मोड़ से मड़पा भाया लवामुजौनी, बलिया रोड का निर्माण कार्य आजतक अधूरा पड़ा है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त रोड के संवेदक एवं विभाग के पदाधिकारियों के मिलीभगत से प्राक्कलित राशि दो करोड़ रूपये में से करीब एक करोड़ तेरह लाख रूपये की निकासी कर ली गई है, जबकि जमीनी कार्य मात्र 20 से 25 प्रतिशत ही हुआ है;	2. आंशिक स्वीकारात्मक। इस योजना में 12.83 लाख का भुगतान किया गया है व भौतिक उपलब्धि 55% है।
3. क्या यह बात सही है कि संवेदक एवं पदाधिकारियों के मिलीभगत से उक्त योजना को पूर्ण कराये बगैर ही समय से पूर्व संवेदक को सुरक्षित जमा राशि की निकासी भी करा दी गई है;	3. स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण पूर्ण कराने की दिशा में तथा संवेदक एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4. वर्णित पथ का कुछ अंश नहर क्षेत्र में है जो जल संसाधन विभाग के अधीन है। कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल, गोड्डा के पत्रांक–1031, दि0–29.09.12 एवं पत्रांक–248, दि0–16.02.13 द्वारा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर महगामा से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु आग्रह किया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1020/15 ग्रा0का0वि0 2819 राँची/दिनांक– 22.8.15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2061, दिनांक–13.08.15 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

22.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1020/15 ग्रा0का0वि0 2819 राँची/दिनांक– 22.8.15

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1020/15 ग्रा0का0वि0 2819 राँची/दिनांक– 22.8.15

प्रतिलिपि–प्रज्ञाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(107)

मा0, स0वि0स0, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

	प्रश्नकर्त्ता मा0, स0वि0स0, श्री राधाकृष्ण किशोर	उत्तरदाता मा0 मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
	क्या मंत्री, प0नि0वि0 यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत 18.70 करोड रूपये की लागत से बनने वाली पाटन – नावां – जयपुर – पदमा पथ के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2012 में दी गयी थी ;	कजरी–पाटन–मनातु पथ की लागत 22.91315 करोड़ है, जिसकी स्वीकृति वि0 पत्रांक 5991 (S) WE दिनांक 25.06.13 द्वारा दी गई है ।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित पथ का निर्माण 30 जुलाई 2015 तक पूरा नहीं किया गया है, जबकि कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि 05.02.2014 तक निर्धारित की गयी थी ;	
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का निर्माण कार्य गुणवत्ता अत्यंत ही घटिया है ;	पथ में बिटुमिनस कार्य प्रारम्भ करने में बहुत विलम्ब होने के कारण सम्पादित कार्य क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे सुधार कर बिटुमिनस कार्य कराया जा रहा है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतएगी कि गुणवत्ता पूर्ण उक्त पथ का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करना चाहती है ?	इस पथ का निर्माण कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण करा लिया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अल्प सूचित–11/2015 6068(S) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2053 दिनांक 13.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अल्प सूचित–11/2015 6068(S) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(104)

माननीय विधानसभा सदस्य श्री इरफान अंसारी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.08.15 को सदन में उठाये जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–30 की सूचना का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा डिभीजन के 2014–15 में चापाकल लगाने का जो लक्ष्य था उसे पूर्ण दिखलाया गया है, जबकि कोई भी चापाकल लगा ही नहीं है,	अस्वीकारात्मक वर्ष 2014–15 में पुर्नस्थापन NRDWP (S/R) के तहत अन्तर्गत में 649 अदद् लक्ष्य निर्धारित था। उसके विरूद्ध गत वित्तीय वर्ष में 616 अदद् S/R का कार्य कराया गया। शेष 33 अदद् को इस वित्तीय वर्ष में कार्य कराकर पूर्ण कर लिया गया। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में 75 अदद् के विरूद्ध 73 अदद् D/T का कार्य कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि लगाए गये चापाकल की सूची मांगने पर भी डिविजन द्वारा सूची उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है,	वस्तुस्थिति यह है कि चापाकल की सूची उपलब्ध है, सूची उपलब्ध कराने के लिए निदेश सभी कार्यपालक अभियंता को प्रदत है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक करवाई की जायेगी।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हुए अनियमिताओं की जाँच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, कबतक नही तो क्यों?	क्रमांक 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/अल्पसूचित–08/2015– 3788 दिनांक 25/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 2400 दिनांक 21.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

25/08/15

(105)

मा0, स0वि0स0, श्री चम्पाई सोरेन द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

	प्रश्नकर्त्ता मा0, स0वि0स0, श्री चम्पाई सोरेन	उत्तरदाता मा0 मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
1.	क्या मंत्री, प0नि0वि0 यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसांवा जिलान्तर्गत राजनगर प्रखण्ड के देहाती क्षेत्रों को जमशेदपुर से जोड़ने हेतु राजनगर–जुगलसलाई पथ एक मुख्य पथ है ;	राजनगर–जुगसलाई पथ के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 30.611 (कुल लम्बाई – 30.611 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण (भू–अर्जन सहित) कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति वि0 पत्रांक–5276 (S) दिनांक 27.07.12 द्वारा दी गई है । प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रू0 30.7406 करोड़ है ।
2.	क्या यह बात सही है कि राजनगर जुगसलाई पथ की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनः निर्माण कार्य सम्बन्धी स्वीकृति विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में दी गयी थी ;	
3.	क्या यह बात सही है कि इस संबंध में विभाग द्वारा एकरारनामा दिनांक 08.03.2013 को की गई थी ;	
4.	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ को दिनांक 07.06.2014 तक पूर्ण कर लिये जानी थी, किन्तु अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है ;	इस कार्य का एकरारनामा दिनांक 13.03.13 को किया गया । इस कार्य के संवेदक मे0 के0के0 बिल्डर्स प्रा0 लि0, कालीमाटी रोड, साकची, जमशेदपुर है । इस कार्य के पूर्ण किए जाने की तिथि 02.06.14 थी ।
5.	यदि वर्णित खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण अविलम्ब जनहित में करने और विलम्ब की जांच कर सम्बन्धित अधिकारियों एवं संवेदक पर कार्यवाई करने का विचार रखती है, हों तो कब ?	संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में टाइम एक्टेंसन हेतु रिट याचिका दायर किया है । कार्य को मार्च 2016 तक पूर्ण कराने का संशोधित लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अल्प सूचित–14/2015 6067(3) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2161 दिनांक 17.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अल्प सूचित–14/2015 6067(3) राँची/दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(106)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०– 06 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो का उत्तरी विस्थापित क्षेत्र का शिबुटॉड, पचौरा, बैधमारा, आगरडीह, महुआरा, बनसिमली, श्यामपुर एवं विरूटॉड न तो नगर परिषद में आता है, और न ही पंचायत में आता है ?	स्वीकारात्मक है । प्रश्नगत क्षेत्र बी०एस०एल० के लिए अधिग्रहित कर हस्तांतरित की जा चुकी है ।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त राजस्व गाँव के नगर परिषद या पंचायत में नहीं रहने से वहाँ के ग्रामीण विकास कार्यों से वंचित है तथा कई तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । सरकार द्वारा चलाई जा रही है महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रश्नगत ग्राम/टोलों में निवास करने वाले परिवारों को मुहैया करायी जा रही है ।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त राजस्व गाँव को नगर परिषद या पंचायत के अधीन रखना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है । प्रश्नगत ग्राम/टोला की भूमि बी०एस०एल० को हस्तांतरित की जा चुकी है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भूमि का स्वामित्व बी०एस०एल० में निहित कर दिया गया है एवं इसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० दायर किया गया है । अतएव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आलोच्य ग्राम/टोलों को नगर परिषद/ पंचायत के अधीन किया जाना संभव नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) मामले ।

ज्ञापांक:–01स्था (वि०)–141/2015 2525 /, राँची, दिनांक:–25.8.15

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2060 दिनांक 13.08.2015 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 25/8/15
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– –01स्था (वि०)–141/2015 2525 /, राँची, दिनांक:–25.8.15

प्रतिलिपि:– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) मामले के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

ह० 25/8/15
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– –01स्था (वि०)–141/2015 2525 /, राँची, दिनांक:–25.8.15

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) मामले, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 25/8/15
सरकार के अवर सचिव

(107)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद में कार्यरत कर्मियों का विगत 32 महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है एवं इससे सेवानिवृत कर्मियों का भी उपादान राशि (Gratuity) का भुगतान आज तक नही हो पाया है;	स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त कर्मियों का बकाया वेतन तथा उपदान राशि का एक मुश्त भुगतान करने की विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	माडा एक स्वायत संस्था है, जो अपने संसाधनों के अधार पर कर्मियों का वेतन एवं उपादान (Gratuity) की भुगतान करती है। राज्य सरकार माडा को कोई राशि नहीं उपलब्ध कराती है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :– 1/वि0स0/अ0सू0–21/03/2015/न0वि0 3093 राँची, दिनांक :– 25-08-15.

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2160/वि0स0, दि0–17.08.2015 के आलोक में उत्तर सामग्री 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/8/2015

सरकार के उप सचिव।

(108)

श्री अशोक कुमार, मा० स० वि० स०, द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं० अ० सू० 04 से सम्बन्धित उत्तर सामग्री।

प्रश्न :–	उत्तर :–
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2005 – 06 में ही की गई थी, परन्तु इतने वर्षों बाद भी आजतक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि कार्य अधुरा रहने के कारण अधुरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु दुसरी बार निविदा निकाल कर दुसरे संवेदक को कार्य आवंटित किया गया जिसका प्राक्कलन करीब एक करोड़ पच्चीस लाख रूपये का बनाया गया, जबकि कार्य मुश्किल से 25 से 30 लाख रूपये का ही बॉकी था, इसके बावजूद भी अभी तक कार्य अधुरा है।	i. वस्तु स्थिति यह है कि महागामा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति रू० 458.701 लाख पर पत्रांक 114 (स्वी०) दिनांक 24.10.2005 को की गई थी। योजना निर्माण का कार्यादेश संवेदक श्री संजीव कुमार को निर्गत किया गया। कार्यादेश की राशि रू० 164.97 लाख था एवं एकरारनामा सं० F2 – 26/2005-06 दिनांक 08.02.2006 को सम्पन्न हुआ। मेटेरियल की आपूर्ति विभागीय स्तर से किया जाना था, यह किया भी गया है। ii. संवेदक द्वारा कार्य पूरा नहीं करने के कारण अभियंता प्रमुख द्वारा अधीक्षण अभियंता, देवघर की अध्यक्षता में कार्यपालक अभियंता, देवघर, सहायक अभियंता, देवघर, दो कनीय अभियंता, देवघर एवं दो कनीय अभियंता, जामताड़ा की समिति गठित की गई। समिति द्वारा अंतिम मापी कराकर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, दुमका द्वारा दिनांक 28.05.2012 को एकरारनामा विखण्डित कर दिया गया। समिति ने माप पुस्तिका में अंकित मापी के विरूद्ध रू० 125.32 लाख के भुगतान मे से रू० 104.2711 को ही सही माना। कार्यपालक अभियंता, गोडडा ने प्रतिवेदित किया गया है कि कैश बुक के अनुसार रू0 132.30 लाख (रू0 एक करोड़ बत्तीस लाख तीस हजार) का भुगतान किय गया है। iii. योजना के मापी के आधार पर अवशेष कार्य रू0 32.00 लाख (रू0 बत्तीस लाख) का ही है। वर्त्तमान में मापी पुस्तिका (M.B.) गायब है एवं श्री रामदेव यादव, सहायक अभियंता (सेवा निवृत) अवर प्रमण्डल महागामा ने मापी पुस्तिका चोरी की याचिका PCR 222/12 SDJM गोडडा के न्यायालय में दायर किया। न्यायालय के आदेशपर F.I.R. महागामा थाना में केस सं0–107/13 दिनांक 17.09.13 से भा0द0वि0 (IPC) U/S 379/408/420 के तहत दायर है। इस तरह मापी सत्यापन दिनांक 25.03.12 के बाद मापी पुस्तिका (M.B.) गायब की गई है।

	iv. अवशेष कार्य हेतु रू0 122.49 लाख का एकरारनामा दूसरे संवेदक के साथ एकरारनामा सं० P2 – 01 ऑफ 13-14 दिनांक 22.04.2013 के रूप में किया गया। v. इस मामले में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री शंकर पासवान के विरूद्ध जरमुन्डी थाना कांड सं०–114 / 12, भा०द०वि० की धारा 420 / 406 / 409 / 323 / 427 / 379 / 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी दायर है। vi. इस योजना के संबंध में एक मामला लोकायुक्त के स्तर पर निगरानी जांच की जा रही है। लोकायुक्त परिवाद सं0–01 / लोक (पेयजल) 02 / 2012
3. क्या यह बात सही है कि उक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधुरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु जो प्राक्कलन स्वीकृत किया गया उसमें करीब एक करोड़ रूपये का घपला है, जिसके लिए तत्कालीन कनीय अभियंता, अवर प्रशाखा, महागामा द्वारा वर्द्धित राशि पर आपत्ति भी दर्ज की गई थी।	वस्तु स्थिति कंडिका–2 में स्पष्ट है। वह संदेह उत्पन्न कर रहा है। कार्यपालक अभियंता, गोड्डा ने कनीय अभियंता द्वारा कोई आपत्ति करने पर अनभिज्ञता व्यक्त की है। कोई अभिलेखीय साक्ष्य कार्यालय में नहीं है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों को उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जलापूर्ति योजना को पूर्ण कराने की दिशा में एवं प्राक्कलन में किए गए करीब एक करोड़ रूपये के घोटाले की जाँच उच्चस्तरीय जाँच कमिटि से कराकर दोषी स्थीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसकी समेकित जांच मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से कराये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक 07/अ० सू०-01-02/2015 – 3787 दिनांक :– 25/8/15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक सं० 2059 दिनांक 13-08-2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

25/08/15

(109)

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–29 का उत्तर प्रतिवेदन ।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के इंदिरा आवास का कोटा निम्न प्रकार निर्धारित था: आदिवासी – 20 % हरिजन – 15 % ओ0बी0सी0 – 17 % अल्पसंख्यक – 15 % विकलांग – 3 %	आंशिक स्वीकारात्मक इंदिरा आवास योजना के मार्गदर्शिका में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 60%, अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए 15% तथा शेष अन्य श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है। कुल लक्ष्य का कम से कम 3% लाभार्थी विकलांग श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में अल्पसंख्यक का कोटा घटाकर 4.29 % हो गया है,	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2013–14 से ही भारत सरकार द्वारा लक्ष्य का 4.3% ही अल्पसंख्यकों के लिए कर्णांकित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपने स्तर से लक्ष्य को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2014–15 में 15.7 % किया था। इस वर्ष भी पूर्व की भांति ही 4.30% लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
3.	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो राज्य सरकार अल्पसंख्यक के कोटा को घटाने के कारणों को बताना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए इंदिरा आवास का कोटिवार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। उक्त के आलोक में राज्य स्तर से जिलावार भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 4476 दिनांक 25·8·15
ग्रा0वि0 08–वि0स0–64/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 2399/वि0स0 दिनांक 21.08.2015 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 4476 दिनांक 25·8·15
ग्रा0वि0 08–वि0स0–64/2015

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15
सरकार के अवर सचिव ।

(116)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 में केन्द्र सरकार ने Capacity building के लिए राज्य को 64 करोड़ रूपये की राशि नगर निकाय में सुधार हेतु कर्मचारियों अधिकारियों और निकाय के चुने प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देने की योजना के लिए उपलब्ध कराई थी।	अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2013 में JnNURM के अंतर्गत Comprehensive Capacity Building Programme (CCBP) योजना अंतर्गत 6426.01 लाख की योजना तैयार कर स्वीकृति हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजी गई थी। भारत सरकार द्वारा 3888.71 लाख रू० की योजना वर्ष–2014 में स्वीकृत की गई एवं 972.17 लाख रू० प्रथम किस्त के रूप में राज्य को प्राप्त हुई।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना अंतर्गत राज्य के 18 निकायों का चयन कर प्रत्येक निकाय में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 6–6 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी थी।	उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के 10 निकायों यथा–लोहरदगा, गुमला, देवघर, साहेबगंज, दुमका, चास, हजारीबाग, गिरिडीह, मेदिनीनगर एवं चाईबासा में City Reform & Performance Management Cell की स्थापना कर 6–6 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी थी। सात निकायों में विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष तीन निकायों– हजारीबाग, दुमका एवं साहेबगंज में नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही थी। किन्तु भारत सरकार द्वारा AMRUT योजना प्रारंभ करने के पश्चात् पत्रांक–D.O. No.-K-14028/62/2014-N-IV (SC-III); दि०-26 MAY, 2015 द्वारा तत्काल प्रभाव से इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित रखने हेतु निदेश दिया गया है। साथ ही इस योजना अंतर्गत विभागीय स्तर पर State Reform & Performance Management Cell तथा Sri Krishna Institute of Public Administration (SKIPA), रांची में Urban Management Cell का गठन कर 6–6 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है। नियुक्त किये गए सभी विशेषज्ञ परियोजना से जुड़े कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का लाभ अबतक राज्य के किसी नगर निकाय को न देकर खण्ड–1 में वर्णित राशि का बंदरबाँट कर ली गई है।	अस्वीकारात्मक है। राज्य के 10 निकायों को प्रति निकाय 40.20 लाख रू० निर्गत किया गया है एवं SKIPA स्थित UMC हेतु 30.40 लाख रू० निर्गत किया गया है। इस योजना के तहत् निकायों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों/निकाय के चुने प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं विषय संबंधित क्षेत्र भ्रमण (exposure visit) भी कराया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मामले की गंभीरतापूर्वक जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–1, 2 एवं 3 के आलोक में लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–06 A/न०वि०/वि०स०प्र०(अल्प सूचित)–08/2015–3085 न०वि०/राँची, दि०–24-08-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2127 दिनांक–17.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8/2015

(111)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 –01 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार ने कई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (BRGF, IAP इत्यादि) में सहायता देना बन्द कर दिया गया है ?	बी0आर0जी0एफ0 (BRGF) को वित्तीय वर्ष 2015–16 में चालू नहीं रखे जाने के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक N-11019/157/2014-BRGF दिनांक 12.03.2015 द्वारा सूचना दी गई है IAP/ACA for LWE affected Districts के वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि अप्राप्त है । इसके चालू रहने के संबंध में सूचना भारत सरकार से अप्राप्त है ।
(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सहायता की राशि बन्द होने के कारण राज्य में पूर्व से संचालित हजारों योजनाएँ अधूरी पड़ी हुई है ?	स्वीकारात्मक । BRGF के तहत 3923 योजनाएँ लम्बित है । IAP/ACA for LWE affected Districts के तहत 2338 योजनाएँ लम्बित है ।
(3) अगर उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अधूरी योजनाओं को राज्यमद से पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बी0आर0जी0एफ0 (BRGF) एवं IAP/ACA for LWE affected Districts योजनाओं में राशि देयता के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राज्य मद से अधुरी योजनाओं को पुरा करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जावेगा ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) मामले ।

ज्ञापांकः–2/वि0–42/2015–2507–/, राँची, दिनांकः– 24.8.15

प्रतिलिपिः– 100अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2063 दिनांक 13.08.2015 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –2/वि0–42/2015–2507–/, राँची, दिनांकः– 24.8.15

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) मामले के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

24/8/15
सरकार के अवर सचिव

श्री प्रकाश राम, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा आगामी दिनांक 26.8.2015 को सदन में पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 24 पर उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न–कर्ता – श्री प्रकाश राम, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	उत्तर–दाता – श्री नीलकंठ मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला में वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में मनरेगा की योजनाओं में कार्य किये हजारो मजदूरों का भुगतान लंबित है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2013–14 में मनरेगा अन्तर्गत योजनाओं में कार्य किये मजदूरों का मजदूरी भुगतान लंबित नहीं है। 2014–15 में मनरेगा की योजनाओं में कार्य किये मजदूरों का FTO Process नही होने के कारण मजदूरी भुगतान लम्बित होने की सूचना प्राप्त है।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड कार्यालय से मजदूरों का भुगतान हेतु अंतिम स्वीकृति एवं निधि स्थानान्तरण के बावजूद संबंधित डाकघर के पदाधिकारियों द्वारा खाता संख्या को invalid दिखाकर भुगतान लंबित कर दी जाती है जबकी उसी खाता संख्या से पूर्व की योजनाओं में उस मजदूर को उनके किये गये कार्यों का भुगतान उसी डाकघर से हुआ है;	स्वीकारात्मक । उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार से प्राप्त सूचना के अनुसार लातेहार जिला के बरवाडीह, बालूमाथ, बारियातु एवं मनिका प्रखण्डो में कुछ मजदूरों के खाता संख्या सही रहने के बावजूद invalid बताकर भुगतान नही किए जाने की सूचना है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारियों पर जाँचोपरांत कार्रवाई करवाने एवं मजदूरों के बकाया राशि का भुगतान कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	NREGASoft में परिलक्षित मनरेगा मजदूरी भुगतान हेतु लंबित FTO का विवरण विभाग स्तर से जिलों को प्रेषित करते हुए भौतिक सत्यापन कराकर मजदूरों के भुगतान का अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक – (N) 1719 दिनांक 01.8.2015 एवं स्मार पत्रांक – (N) 1864 दिनांक 19.8.2015 द्वारा निदेश दिया गया है। जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित बैंक/ डाकघर द्वारा इसे Reject कराते हुए

	FTO को Regenerate कर भुगतान करने की कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक-(N) 1947(अनु0) दिनांक 24.08.2015 द्वारा अनुरोध किया गया है। जिन मामलों में खाता संख्या सही रहने के बावजूद Invalid बताकर मजदूरी भुगतान नहीं किए जाने की सूचना है। उसके लिए – "झारखण्ड राज्य मनरेगा अन्तर्गत विलम्बित मजदूरी भुगतान के लिये क्षतिपूर्ति नियमावली, 2015" की कंडिका– 15 के आलोक में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 11–324/वि०स०/2015/ग्रा०वि० (N) 1966 राँची, दिनांक 25.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2322 दिनांक 20.8.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०) 25/8/15
(रतन कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 11–324/वि०स०/2015/ग्रा०वि० –(N) 1966 राँची, दिनांक 25.8.15

प्रतिलिपि :– श्री प्रकाश राम, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के आप्त सचिव/ माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०) 25/8/15
सरकार के अवर सचिव।